



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-11.10.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर में लड़ाई-झगड़ा करने के मामले से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण को जेल में बितायी गयी अवधि व 1200-1200 रु0 अर्थदण्ड ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-91A/94 धारा 323/324/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- रामअवध यादव पुत्र जयकरन यादव व 02- रामपति यादव पुत्र जयकरन यादव निवासीगण रामचन्नीपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-09.10.2025 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 06 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण 01- रामअवध यादव व 02- रामपति यादव उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/324/504/506 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी अवधि व प्रत्येक अभियुक्त को धारा 323 भा0द0वि0 में 300 /- रुपये , 324 भा0द0वि0 में 500 /- रुपये, 504 भा0द0वि0 में 200 /- रुपये, व 506 भा0द0वि0 में 200 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।